-:प्रेस नोट:-

लूट के आशय से हत्या करने वाले वांछित अभियुक्तो को थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर पुलिस द्वारा अंदर 12 घंटे में किया गिरफ्तार

- लूट के आशय से की थी हत्या।
- थाना हनुमंत विहार की पुलिस ने अंदर 12 घंटे में किया हत्या का खुलासा।
- घटनाक्रम : अभियुक्तगण पैसो की लालच एवं जल्द अमीर बनने की इच्छा के लिए पूर्व से सुनयोजित योजना के तहत घंटाघर से अपने निवास स्थान मकसूदबाद जाने के लिए कैब बुक करते थे परंतु देहात क्षेत्र होने के कारण कैब ड्राइवर राइड कैंसिल कर देते परंतु अभियुक्तगण द्वारा कैब ड्राइवर को अधिक रुपए देने के नाम पर बुक हुयी राइड को कैंसिल कर उसी गाड़ी में बैठ कर मकसूदबाद क्षेत्र स्थित नौरंगाबाद पुलिया के पास सुनसान जगह देखकर व मौका पाकर ड्राइवर से लूटपाट करना जिसका विरोध करने करने पर ड्राइवर की थर्माकोल कटर से गला काटकर हत्या कर देना और उक्त गाड़ी को बेचने के आशय से अपने साथ ले जाते और मृतक को कहीं छिपाने के उद्देश्य से पनकी कपली अंडर पास सुनसान जगह झाड़ियो के किनारे फेंक देते। इसके उपरांत गाड़ी को खेरेश्वर मंदिर ले जाकर गाड़ी की धुलाई करना जिससे साक्ष्य मिट जाये जिसके बाद गाड़ी को जवाहरपुरम पनकी सुनसान बने फ्लैटो के बीच झाड़ियो के किनारे खड़ी कर देना।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर एवं श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर नगर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिण महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण के निकट निर्देशन में श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त नौबस्ता के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के नेतृत्व में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम व अपराधियो की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.06.2024 को सूचनाकर्ता जीजा श्री नारायण सिंह पुत्र स्व0 भीखम सिंह नि0 अर्रा नई बस्ती नन्द लाल नगर आराजी नं0 1560 थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर ने अपने साले पुष्पेंद्र सिंह उम्र करीब 35 वर्ष की गुमशुदगी की दर्ज कराई गयी थी। जिसकी जांच उ0नि0 कप्तान सिंह द्वारा की जा रही है थी जांच के क्रम में जानकारी हुयी कि गुमशुदा पुष्पेंद्र सिंह का शव थाना पनकी क्षेत्र में मिला है जिसकी शिनाख्त हेतु मौके पर परिजन को फोटो व कपड़े आदि दिखाये गए जिनके द्वारा शिनाख्त करते हुये कहा कि यह पुष्पेंद्र है। जिसके क्रम में वादी श्री नारायण सिंह द्वारा अपने साले की हत्या कर देने के संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 259/24 धारा 302/201 आईपीसी बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया कराया गया। हत्या के सफल अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा तत्परता से घटना का अनावरण कर एक नफ़र अभियुक्त निखिल भदौरिया व एक नफ़र बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से एक नफ़र अभियुक्त विशाल पाल भाग गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद आला कत्ल व एक अदद मृतक की वैगनार कार बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 392/411/34 आईपीसी की बढ़ोत्तरी की गयी। एक नफर अभियुक्त उपरोक्त व बाल अपचारी को मा0 न्यायालय पेशी हेतु रिमांड पर हनुमंत विहार पुलिस द्वारा भेजा जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त:-

1. **निखिल भदौरिया पुत्र राधे सिंह भदौरिया नि0 शिवली रोड लककुश पुरम म0न0 209 थाना कल्याणपुर कानपुर नगर उम्र करीब 20 वर्ष।**

एक नफर बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण:-

1. **01 अदद आला कत्ल (थर्माकोल कटर)**
2. **01 अदद वैगनार कार नं0 UP 78 JN 6849 (मृतक पुष्पेंद्र सिंह की)**
3. **घटनास्थल से खून के स्वैब व अभियुक्तगण के पहने हुये कपड़े**
4. **वांछित अभियुक्त विशाल पाल का मोबाइल फोन (जिससे घटना वाले आनलाइन राइड बुक किया जान)**
5. **मृतक की कार की नंबर प्लैट व मृतक की आईडी आदि**

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. **थाना प्रभारी श्री उदय प्रताप सिंह थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**
2. **उ0नि0 अभिनव चौधरी चौकी प्रभारी गल्ला मंडी थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**
3. **उ0नि0 अनूप कुमार थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**
4. **उ0नि0 विमल प्रताप थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**
5. **उ0नि0 कप्तान सिंह थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**
6. **का0 392 आदेश कुमार थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**
7. **का0 4057 लाखन सिंह थाना हनुमंत विहार कानपुर नगर।**